



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या: 950-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2022-7-विनियम/2019

दिनांक: 11 नवम्बर, 2022

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम-2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 21.10.2022 को सम्पन्न 186(5) बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय ज्ञाप सं०-875-विनियम एवं काविनी/पाकालि/20 दिनांक 28.10.2020 द्वारा निर्गत उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील)

विनियमावली, 2020 (द्वितीय संशोधन)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की आवश्यकतानुसार ई०आर०पी० प्रणाली में प्रदत्त दण्ड की प्रविष्टि की सुविधा हेतु "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2020" के प्रस्तर-3 में उपबन्धित "शास्तियों" के अन्तर्गत स्तम्भ-1 के अनुसार लघु शास्तियों (एक) परिनिन्दा को स्तम्भ-11 में उल्लिखित व्यवस्था से निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है :-

अद्यतन प्रचलित व्यवस्था	प्रतिस्थापित व्यवस्था
स्तम्भ-1	स्तम्भ-11
"उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2020" के प्रस्तर-3 "शास्तियों" के अन्तर्गत लघु शास्तियों का बिन्दु : (एक) परिनिन्दा	"उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2020" के प्रस्तर-3 "शास्तियों" के अन्तर्गत लघु शास्तियों का बिन्दु : (एक) परिनिन्दा (Censure)

2. उपरोक्त प्रतिस्थापित व्यवस्था "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली-2020" में द्वितीय संशोधन तत्काल समय से प्रभावी माना जायेगा। कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-875-विनियम एवं काविनी/पाकालि/20 दिनांक 28.10.2020 द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड कार्मिक (अनुशासन एवं अपील) विनियमावली, 2020 (यथा संशोधित) उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं विनियमावली के अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं०: 950-(1)-विनियम एवं काविनी-29/पाकालि/22 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी/प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ/म०वि०वि०नि०लि०, लखनऊ/द०वि०वि०नि०लि०, आगरा।
- 4- समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 7- अपर सचिव-1/II/III, शक्ति भवन (मु०), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- 8- समस्त संयुक्त सचिव, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 9- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं० 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

उप सचिव (का०वि०नी० एवं विनियम)